

न्यायालयविशेषाधिकारी नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राज. जयपुर
हाल कार्यालय राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक: ओ.एस.टी./नविआ/१८/१९४

दिनांक 12.03.1992

वाद संख्या 7/90/1

7/90/3

7/90/4

7/90/5

7/90/6

7/90/7

7/90/8

7/90/9

7/90/10

7/90/11

7/90/12

7/90/13

34/89/1

34/89/3

34/89/4

विषय :- राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवासीय कालोनी बनाने हेतु अवाप्ति अधीन भूमि का आशिक अर्वार्ड जो सम्झौते के आधार पर अवाप्त की जा रही है ग्राम श्योपुर योजना सांगानेर चतुर्थ एवं पंचम कुल रकबा 82 बीघा 14 बिस्वा

राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना क्र. प-७/३/नविआ/जयपुर दिनांक 20.3.90 से नगरीयावाला, टीलावाला, चक्रेटोर, श्योपुर एवं धेलावास की कुल भूमि 2176 बीघा सार्वजनिक उद्देश्य अर्थात् राजस्थान आवासन मण्डल की सांगानेर पंचम योजना की आवासीय कालोनी के निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता होने पर अधिसूचना जारी की गई जो राज. राजपत्र के भाग 6 छ दि. 2 अगस्त 1990 में प्रकाशित की गई। तत्पश्चात् विशेषाधिकारी की केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 5 ए की रिपोर्ट पर विचार कर भूमि की उपरोक्त आवश्यकता को मध्य नजर रखते हुए राज्य सरकार द्वारा धारा 6 के अन्तर्गत अधिसूचना प-७/३२/नविआ/३/९०

....2

नविआ
विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

Received copy
16.3.92

दि. 12.12.91 के द्वारा जारी की गई।

सांगानेर चतुर्थ योजना की राजस्थान आवासन मण्डल की आवा-
सीय कालोनी के निर्माण हेतु ग्राम श्यामपुर, बंबाला की कुल भूमि 729
बीघा 03 बिस्वा की अधिसूचना क्र. प.स.एफ.7/36/नविआ/3/83
दि. 25.9.89 अवाप्ति हेतु जारी की गई। तत्पश्चात् इसका प्रकाशन
19 जुलाई, 1990 राज. राजस्व भाग 8 छमें प्रकाशन करवाया गया।
धारा 5 ए की विशेषाधिकारी की रिपोर्ट पर विचार कर राज्य सरकार
द्वारा धारा 6 केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम के अन्तर्गत भूमि की
आवश्यकता को प्रतिपादित करते हुए अधिसूचना क्र.प.7/36/नविआ/3/83
दि. 12.12.91 को जारी की गई।

सचिव महोदय राजस्थान आवासन मण्डल के पत्र क्र.प.1/4/भू.अ.
2535 दि. 17.1.92 से सूचित किया गया है कि सांगानेर चतुर्थ योजना
की भूमि 12 बीघा 10 बिस्वा तथा पंचम योजना की भूमि 81 बीघा
9½ बिस्वा सम्झौते से छातेदारों से लिए जाने हेतु छातेदार व राज.आवा-
सन मण्डल के मध्य सम्झौता दि. 20.9.91 को हो चुका है जिसकी शर्तों
में प्रमुख यह है कि एक लाख रु. प्रति बीघा की दर से भूमि का बाजार
मूल्य दिया जावेगा। इसके अतिरिक्त पेड़, कुआँ व अन्य निर्माण आदि
का मूल्यांकन बी.एस.आर. रेट 19 जुलाई 90 को आधार मानकर
मूल्यांकन किया जाएगा तथा इस तक्कीने राशि पर 12 % अतिरिक्त
मुआवजा व 30 % सोलेशियम राशि दी जावेगी। दि. 31.12.91 की
अवधि तक भुगतान न होने की सूरत में दि. 1.1.92 से 9 % ब्याज कुल
मुआवजा राशि पर देय होगा।

राजस्थान आवासन मण्डल में तक्कीना एवं सम्झौते के कागजात
प्रस्तुत किए हैं जिसपर शर्तों के अनुसार एक लाख रु. प्रति बीघा की बाजार
दर से राजस्व रिकार्ड में अंकित निम्न छातेदारों की भूमि का सम्झौता
अवार्ड केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 11(2) के अनुसार इन
शर्तों को उचित मानकर दिया जा रहा है जिनका विवरण निम्न प्रकार
है :-

....3



विशेषाधिकारी

समर्थन विभाग एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

ग्राम रथोपुर
=====

वांछ संख्या	नाम जातेदार	खाने	रकबा बीघा - बिस्वा
7/90/1	जेशरा पुत्र रामनाथ	439	0-07
		459	0-15
		687/1567	2-16
		439/1551	0-02
			3-10
7/90/3	रुपा पुत्र चन्दा रैगर	510/1565	1-07
7/90/4	प्रभात पुत्र देवा रैगर	508	2-19
		596	0-07
		597	0-02
		598	0-02
		608	0-18
		474	1-10
		682/1605	3-02
			9-00
7/90/5	भौरीलाल, बाबूलाल, हरिनारायण, गोपाल पि०	488	1-02
	आशराम, मु० अनथी देवा	497	0-02
	आशराम हि० 1/3	498	0-11
	कानाराम, मांगी लाल पुत्र	499	0-10
	दूथा रैगर हि० 2/3	500	0-17
		501	0-15
		502	0-05
		503	0-07
		504	0-08
		505	0-09
		506	0-08
		507	0-17
		511	1-00

मिथ
मिथ अधिकारी
मिथ अधिकारी
मिथ अधिकारी

512	0-13
513	0-11
514	0-14
515	0-19
516	1-03
517	0-10
518	1-02
519	0-11
520	0-09
521	1-05
522	0-19
523	1-03
524	0-06
525	0-11
526	0-07
527	0-06
528	0-07
529	0-11
530	0-13
532	1-04
533	0-13
488/1355	0-19
488/1442	0-12
488/1443	0-10
488/1444	0-08
488/1445	0-16
488/1446	0-14
488/1447	0-13
488/1448	0-05
488/1449	0-15
488/1450	0-08
488/1454	0-14

7/10

श्री वापिपारा
सर्व वि. विज्ञान एवं कर्मका दिनांक
राजस्थान, जयपुर

495/1456	0-13
499/1457	0-12
500/1458	1-05
488/1499	0-11
	<u>32-03</u>

7/90/6	गोपीनाथ पुत्र नारायण रैगर	469	0-14
		470	0-08
		471	0-06
		472	0-10
		481	0-02
		488	3-09
		489	0-02
		587	0-07
		588	0-05
		589	0-07
		587/1341	0-03
			<u>6-13</u>

7/90/7	छीतर मल, रामचन्द्र पुत्र	574	0-10
	कानाराम रैगर	575	0-05
		580	0-04
			<u>0-19</u>

7/90/8	भैरू, पूरा सोन्या, पुत्र पेमा	475	0-05
	जाति रैगर	476	0-13
		477	0-06
		478	0-03
		479	0-05
		480	0-05
		483	0-09
		484	0-02

मिनि

राजस्थान एवं अन्य राजस्थान
राजस्थान, जयपुर

485	0-14
486	0-08
487	0-08
488/1453	0-06
577/1463	0-02
474/1568	0-04

	4-10

7/90/9	मांगी लाल पुत्र घासी रैगर	609	0-05
		610	0-14
		474/1560	2-09

			3-08

7/90/10	घासी पुत्र मोहर	593	2-00
		580/1560	3-15

			5-15

7/90/11	त्रिलोक पुत्र देवा	509	2-03
		604	0-09
		607	0-07
		510/1564	1-07

			4-06

7/90/12	जगन्नाथ पुत्र गोपी धानका	612	0-04
	1/2 हिस्सा	613	0-06
		614	0-04
		616	0-06
		616/1480	0-03

			1-03

7/90/13	लाहू पुत्र गोविन्दा रैगर	473	0-06
		573	0-07

			0-13

१५

विशेषाधिकार
मृत एवं आवासन विभाग
राजस्थान सरकार

34/89/1 कानाराम पुत्र लूथाराम

682/1611 0-14

683/1614 4-09

3-03

34/89/3 लालूराम पुत्र मधाराम रंगर

682/1608 3-02

34/89/14 रामस्वयं पुत्र घासीराम

682/1607 3-02

प्रत्येक खातेदार को सम्झौता अनुसार दिये जाने वाली
मुआवजा राशि का निर्धारण इस प्रकार किया जाता है :-

पेड़ों के लिए बहुत साईज बड़ा 500/- रु०, मध्यम साईज 250/- रु०
व छोटे साईज के 200/- रु० तय करके कीमत लगाई गई है ।

....8



सहायक एवं आयात विभाग
राजस्थान, जयपुर

वाद संख्या :- 7/90/1

नाम जातेदार :- श्री केशरापुत्र रामनाथ ।

राशि

1. १११ भूमि की कीमत समझौते अनुसार रकबा
3 बीघा 10 विस्वा. ग्राम-धयोपुर भूमि
की दर 1,00,000/- रु० प्रति बीघा । 3,50,000=00
2. पेड, पोथे, डोला, कुआ व अन्य निर्माण का
तकमीना बी.एस.आर. 1989 43,265= 59
3. योग १ + 2 3,93,265=59
4. तकमीना राशि पर 12% अतिरिक्त
मुआवजा दिनांक 2.8.90 से 18.1.92 तक
कुल 535 दिन 7,610=00
5. तकमीना राशि पर 30% अनिवार्य अवाप्ति
राशि निर्माण राशि पर - 12,979=68
6. योग 3 + 4 + 5 4,13,855=26
7. दि. 18.1.92 को भुक्तान की गई राशि 3,11,644=00
8. 19.1.92 को भुक्तान योग्य राशि 1,02,211=26
9. रु. 4,13,855=26 पर समझौते अनुसार
9% ब्याज दि. 1.1.92 से 18.1.92 तक 1,836=83
10. रु. 1,02,211=26 पर 9% ब्याज दिनांक
19.1.92 से 12.3.92 54 दिवस 1,360=94
11. अवाई राशि भुक्तानयोग्य - 1,05,409=03

नोट:- राशि 1,02,211=26 पर दिनांक 13.3.92 से भुक्तान
दिनांक तक 9% प्रतिशत ब्याज देय होगा जिसकी गणना
आवासन मण्डल द्वारा भुक्तान के समय की जावेगी ।

....9

१०१

राजस्थान विकास एवं आवास विभाग
राजस्थान, जयपुर

वाद सँख्या :- 7/90/3

नाम खतेदार :- ल्हा पुत्र सन्दा रैगर

राशि

1. भूमि की कीमत समझौते अनुसार रकबा
1 बीघा 07 बिस्वा ग्राम-रयौपुर भूमि
की दर 1,00,000/- प्रति बीघा 1,35,000=00
2. पेड़, पौधे, डोला, कुआ व अन्य निर्माण का
तकमीना बी.एस.आर. 1989 18,620=00
3. योग 1 + 2 1,53,620=00
4. तकमीना राशि पर 12 % अतिरिक्त मुआवजा
राशि वार्षिक दर से दिनांक 2.8.90 से
18.1.92 तक कुल 535 दिन 3,275=07
5. तकमीना राशि पर 30 % सोलेशियम 5,586=00
6. योग 3 + 4 + 5 1,62,481=07
7. 18.1.92 को भुतान की राशि 1-1 1,30,018=00
8. 19.1.92 को भुतान योग्य राशि 32.463=07
9. रु. 1,62,481=07 पर समझौते के अनुसार
9 % ब्याज दि. 1.1.92 से 18.1.92 तक 721=14
10. रु. 32463=07 पर 9 % ब्याज दि. 19.1.92
से 12.3.92 तक 54 दिवस 432=24
- 11 योग 9 + 10 + 11 दि. 12.3.92 तक 33616=45

नोट:- रु. 32463=07 पर दिनांक 13.3.92 से भुतान दिनांक तक
9 % प्रतिशत ब्याज देय होगा जिसकी गणना आवासन मण्डल के द्वारा
भुतान के समय की जावेगी ।

रशि

राज्य निवास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

ता.द.संख्या :- 7/90/4

नाम खतेदार प्रभुत पुत्र देवा रंग ।

राशि

1. ॥ भूमि की कीमत सम्झौते अनुसार रक्कम
9 बीघा 00 बिस्वा, ग्राम-नयोपुर भूमि
की दर 1,00,000/-रु० प्रतिबीघा ॥ 9,00,000=00
2. पेड़ पोछे, डोला, कुआँ व अन्य निर्माण का
तकमीना मण्डल अनुसार 1,03,108=00
3. योग ॥ 1 + 2 ॥ 10,03,108=00
4. तकमीना राशि पर 12 % अतिरिक्त मुआवजा
राशि वित्तीय दर से दि० 2.8.90 से 18.1.92 तक
॥ कुल 535 दिवस ॥ 18,135=70
5. तकमीना राशि पर 30 % सोलेशियम 30,952=40
6. योग ॥ 3 + 4 + 5 ॥ 10,52,176=10
7. रु० 10,52,176=10 पर सम्झौते अनुसार
दि० 1.1.92 से 18.1.92 तक 9 % ब्याज 4,669=92
8. 18.1.92 को भुक्तान यो.स्य राशि ॥-॥ 8 20,348=00
9. 19.1.92 को शेष भुक्तान यो.स्य राशि 2,31,828=10
10. रु० 231928=10 पर दि० 19.1.92 से
दि० 12.3.92 तक 9 % ब्याज राशि
॥ 54 दिवस ॥ 3,086=60
11. 12.3.92 को भुक्तान यो.स्य राशि 2,39,584=92

नोट:- रु० 2,31,828=10 पर 13.3.92 से भुक्तान दिनांक तक
9 % प्रतिशत ब्याज देय होगा जिसकी गणना आवासन मण्डल
द्वारा भुक्तान के समय की जावेगी ।

....11

विज्ञापिका
विज्ञापिकाधिकारी
राज्य विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

: : 11 :

पाद संख्या:-7/90/5

जातेदार नाम :- भौरी, तूबूताल, हरिनारायण, गोपाल
पि.आशाराम मु० अनची बेवा आशाराम हि. 1/3
कानाराण, मांगी ताल पुन हूँथा रैगर हि. 2/3

राशि

1. 11 भूमि की कीमत अन्तर्गत समझौते रकबा
32 बीघा 03 बिस्वा ग्राम-शयोपुर भूमि
की दर 1,00,000/- रु. प्रति बीघा 32, 15, 000=00
2. पेड़, पौधे, डोला, कुआ व अन्य निर्माण का
तकपीना बी.सस.आर. 1989 मण्डल के अनुसार 1, 68, 064=40
3. योग 11 + 2 33, 83, 064=40
4. तकपीना राशि पर 12 % अतिरिक्त सुआवजा
राशि वार्षिक दर से दि. 2.8.90 से दि. 18.1.92
तक 535 दिवस 29, 560=91
5. समझौतेनुसार 30 % अनिवार्य अर्पित राशि
निर्माण आदि पर - 50, 419=32
6. योग 3 + 4 + 5 34, 63, 044=63
7. समझौते के अनुसार रु. 3463044=63 पर
9 % ब्याज दि. 1.1.92 से 13.1.92 18 दिन 15, 370=22
8. 1.1.92 को भुगतान की गई राशि 27, 42, 300=00
9. 19.1.92 को भुगतान योग्य राशि 7, 20, 744=63
10. 19.1.92 से 12.3.92 तक 9 % प्रतिशत ब्याज
54 दिवस 9, 596=76
11. कुल शेष भुगतान योग्य राशि 7, 45, 711=61

नोट:- 7, 20, 744=63 पर दिनांक 13.3.92 से भुगतान दिनांक तक
9 % प्रतिशत ब्याज देय होगा जिसकी गणना आवासन मण्डल
द्वारा भुगतान के समय कीज जावेगी ।

...12

विशेषाधिकारी
आवासन विभाग एवं आवासन विभाग
राजस्थान सरकार

वाद संख्या :- 7/90/6

नाम जातेदार :- गोपीनाथ पुत्र नारायण, जाति-रेणु

राशि

1. भूमि की कीमत समझौते अनुसार रकम
6 बीघा 13 बिस्वा. ग्राम-शयोपुर भूमि
की दर 1,00,000/- रु. प्रति बीघा 6,65,000=00
2. पेड़, पौधे, झोला, कुआँ व अन्य निमणि
का तत्पनीना मण्डल अनुसार 92,880=84
3. योग 1 + 2 7,57,880=84
4. समझौते के अन्तर्गत 12 % अतिरिक्त मुआवजा
राशि वार्षिक दर से दि. 2.1.92 से
दि. 18.1.92 तक 535 दिवस 16,336=84
5. समझौते नुसार 30 % अनिवार्य अवधि
राशि निमणि आदि पर - 27,864=25
6. योग 3 + 4 + 5 8,74,081=93
7. दि. 18.1.92 को भुक्तान की गई राशि 6,16,309=00
8. शेष भुक्तान योग्य राशि 1,85,772=93
9. दिनांक 1.1.92 से 18.1.92 तक 9 %
ब्याज 3,559=92
10. दि. 19.1.92 से 12.3.92 तक ब्याज
राशि 54 दिवस 2,473=57
11. दि. 12.3.92 को भुक्तान योग्य राशि 1,91,806=42

नोट:- राशि 1,85,772=93 पर दिनांक 15.3.92 से भुक्तान
दिनांक तक 9 % प्रतिवर्त ब्याज देय होगा जिसकी गणना
आवासन मण्डल द्वारा भुक्तान के समय की जावेगी ।

... 13

राशि

विशेषाधिकारी

समर्थन विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

वाद संख्या :- 7/90/7

नाम छातेदार :- छीतर, रामचन्द्र पुत्र श्री काना राम,
जाति - रैवार ।

राशि

1. § 1.8 भूमि की कीमत सम्झौते अनुसार, रकबा
0 बीघा 19 विस्वा ग्राम-शयोपुर, भूमि
की दर 1,00,000/- रु. प्रति बीघा 95,000=00
2. पेड़, पौधे, कोला, कुआं व अन्य निर्माण
का तक्मीना मण्डल के अनुसार 800=00
3. योग § 1 + 2 § 95,800=00
4. सम्झौते के अन्तर्गत 12 % अतिरिक्त मुआवजा
राशि वार्षिक दर से दिनांक 2.8.90 से
दि. 18.1.92 तक § 535 दिवस § 140=71
5. सम्झौता नुसार 30% अतिरिक्त अवाप्ति
राशि निर्माण आदि पर - 240=00
6. योग § 3+4+ 5 § 96,180=71
7. दिनांक 18.1.92 को भुगतान की गई
राशि रु. § - § 76,946=00
8. 19.1.92 को शेष भुगतान योग्य राशि 19,234=71
9. रु. 96,180=71 पर दिनांक 1.1.92 से 18.1.92
तक 9 % ब्याज 426=88
10. दि. 19.1.92 से 12.3.92 तक 9 %
ब्याज § 54 दिवस § 256=11
11. योग § कुल भुगतान योग्य राशि § 19,917=70

नोट:- राशि 19234=71 पर दिनांक 13.3.92 से भुगतान की
दिनांक तक 9 % प्रतिशत ब्याज देय होगा जिसकी गणना
आवासन मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जावेगी ।

वाद संख्या :- 7/90/8

आवेदार का नाम :- श्री भै. पूरा, सोन्या पुत्र पैमा
जाति-रैगर ।

राशि

1. § भूमि की कीमत सम्झौते अनुसार रक्का
4 बीघा 10 बिस्वा ग्राम-रयोपुर भूमि की
दर 1,00,000/- प्रति बीघा 4,50,000=00
2. पेड़, पौधे, डोल, कुआँ व अन्य निर्माण का
तकमीना आवासन मण्डल के अनुसार 38,444=78
3. योग § 1 + 2 § 4 88,244=78
4. सम्झौते के अन्तर्गत 12 % अतिरिक्त मुआवजा
राशि वार्षिक दर से दिनांक 2.8.90 से
18.1.92 तक § 535 दिवस § 6,726=88
5. सम्झौता नुसार 30 % अनिवार्य अवाप्ति
राशि निर्माण आदि पर - 11,473=43
6. योग § 3 + 4 + 5 § 5,06,445=09
7. दि. 18.1.92 को भुक्तान की गई राशि § - § 3,86,335=00
8. दि. 19.1.92 को शेष भुक्तान योग्य राशि 1,20,110=09
9. रु. 5,06,445=09 पर 9 % ब्याज
दि. 1.1.92 से 18.1.92 तक § 18 दिन § 2,247=78
10. 19.1.92 से 12.3.92 तक रु. 1,20,110=09 पर
ब्याज 9 % § 54 दिवस § 1,599=27
11. कुल भुक्तान योग्य राशि 1,23,957=14

नोट:- राशि 1,20,110=09 पर दिनांक 13.3.92 से भुक्तान
की दिनांक तक 9 % प्रतिशत ब्याज देय होगा जिसकी गणना
आवासन मण्डल द्वारा भुक्तान के समय की जावेगी ।

अभि

निरीषाधिकारी
आवासन विकास एवं जन सेवा विभाग
राजस्थान सरकार

वाद संख्या :- 7/90/9

खातेदार का नाम :- मणि लाल पुत्र घासी जाति-रैगर ।

राशि

1. भूमि की कीमत अन्तर्गत सम्झौते अनुसार
रकबा 3 बीघा 08 बिस्वा, ग्राम-रयोपुर भूमि
की दर 1,00,000/- रु. प्रति बीघा 3,40,000=00
2. पेड़, पौधे, डोला, कुआ व अन्य निर्माण
का तक्मीना मण्डल के अनुसार 5,415=09
3. योग 1 + 2 3,45,415=08
4. सम्झौते के अन्तर्गत 12 % अतिरिक्त मुआवजा
राशि वार्षिक दर से 2.8.90 से 18.1.92
{535 दिवस} 952=46
5. सम्झौतानुसार 30 % अनिवार्य अवाप्ति राशि
निर्माण आदि पर - 1,624=52
6. योग 3 + 4 + 5 3,47,992=06
7. दिनांक 18.1.92 को भुक्तान की गई
राशि 2,78,403=00
8. शेष भुक्तान योग्य राशि 69,589=06
9. रु. 3,47,992=06 पर दि. 1.1.92 से
दि. 18.1.92 तक 18 दिन 9 % ब्याज 1,544=51
10. रु. 69,589=06 पर दि. 19.1.92 से
12.3.92 तक 54 दिवस 9 % ब्याज 926=58
11. कुल भुक्तान योग्य राशि 72,060=15

नोट:- राशि 69,589=06 पर दिनांक 13.3.92 से भुक्तान
की दिनांक तक 9 % प्रतिवर्त ब्याज देय होगा जिसकी
गणना आवासन मण्डल द्वारा भुक्तान के समय की जावेगी ।

... 16

मि. सि. सि.
मि. सि. सि.
मि. सि. सि.
मि. सि. सि.

वाद संख्या :- 7/90/10

आवेदार का नाम :- छासी पुत्र मोहन

राशि

1. § 1 § भूमि की कीमत सम्झौते अनुसार रु. 5 बीघा 15 बिस्वा; ग्राम-श्यामपुर, भूमि की दर 1.00 000/- रु. प्रति बीघा 5,75,000=00
2. पेड़, पौधे, डोला कुआ व अन्य निर्माण का तस्मीना मण्डल के अनुसार 75,000=70
3. योग § 1 + 2 § 6,50,000=70
4. सम्झौते के अन्तर्गत 12 % अतिरिक्त पुआवज राशि वार्षिक दर से दि. 2.8.90 से 18.1.92 तक § 535 दिवस § 13,191=90
5. सम्झौता नुसार 30 % आनेवाया अवाप्ति राशि निर्माण आदि पर - 22,500=21
6. योग § 3 + 4 + 5 § 6,85,692=81
7. दिनांक 18.1.92 को किया गया भुगतान 5,60,290=00
8. शेष भुगतान योग्य राशि 1,25,402=81
9. रु. 6,85,692=81 पर दि. 1.1.92 से दि. 18.1.92 तक 9 % ब्याज § 18 दिवस § 3,043=34
10. दि. 19.1.92 से 12.3.92 तक रु. 1,25,402=81 पर 9 % ब्याज § 54 दिवस § 1,669=74
11. कुल भुगतान योग्य राशि- 1,30,115=89

नोट:- रु. 1,25,402=81 पर दिनांक 13.3.92 से भुगतान की दिनांक तक 9 % प्रतिशत ब्याज देय होगा जिसकी गणना आवासन मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जावेगी।

अभि

... 17

विशेषाधिकारी
आवास एवं आवासीय विभाग
राजस्थान, जयपुर

वा द संख्या :- 7/90/11

नाम छातेदार :- त्रिलोक पि० देवा ।

राशि

1. १। १। भूमि की कीमत समझौते अनुसार रक्कबा
4 बीघा 06 जिखा ग्राम-रयोपुर भूमि की
दर 1,00,000/- रु. प्रति बीघा । 4,30,000=00
2. पेड़, पौधे, डोला, कुआ, व अन्य निर्माण
का तक्मीना आवासन मण्डल के अनुसार 74,752=76
3. योग १ + 2 १ 5,04,752=76
4. समझौते के अन्तर्गत 12 % अतिरिक्त मुआवजा
राशि वार्षिक दर से दि. 2.8.90 से
18.1.92 तक १535 दिवस १ 13,148=29
5. समझौता नुसार 30 % अनिवार्य अवाप्ति राशि
निर्माण आदि पर - 22,425=82
6. योग १ 3 + 4 + 5 १ 5,40,526=87
7. दि. 18.1.92 को भुक्तान की गई राशि 4,19,730=00
8. शेष भुक्तान योग्य राशि 1 20,596=87
9. दि. 1.1.92 से 18.1.92 तक
रु. 5,40,526=87 पर 9 % ब्याज १18 दिवस १ 2,398=16
10. रु 1,20,596=87 पर दि. 19.1.92 से
12.3.92 तक 9 % की दर से ब्याज १54 दिवस १ 1,605=75
11. कुल भुक्तान योग्य राशि- 1,24,600=78

नोट:- राशि 1,20,596=87 पर दिनांक 13.3.92 से भुक्तान
दिनांक तक 9 % प्रतिशत ब्याज देय होगा जिसकी गणना
आवासन मण्डल द्वारा भुक्तान के समय की जावेगी ।

... 18

विशेषाधिकारी
राजस्थान विकास एवं आवास विभाग
राजस्थान, जयपुर

वाद संख्या :- 7/90/12

छातेदार का नाम :- जगन्नाथ, पुत्र गोपी धनका 1/2 हिस्सा

राशि

1. § भूमि की कीमत सम्झौते अनुसार रक्का
1 बीघा 03 बिस्वा ग्राम-श्यापुर भूमि
की दर 1,00,000/-रु. प्रति बीघा 57,500=00
2. पेड़, पौधे डोला, कुआं व अन्य निर्माण का
तकमीना आवासन मण्डल के अनुसार 39=73
3. योग § 1 + 2 § 57,539=73
4. सम्झौते के अन्तर्गत 12% अनिवार्य अतिरिक्त
मुआवजा राशि वार्षिक दर से दि. 2.8.90
से 18.1.92 तक § 535 दिवस § 6=98
5. सम्झौता नुसार 30% अनिवार्य अवाप्ति राशि
निर्माण आदि पर व्यय 11=91
6. योग § 3 + 4 + 5 § 57,558=62
7. रु. 57,558=62 पर दि. 1.1.92 से
12.3.92 तक 9% दर से ब्याज § 72 दिवस § 1,021=86
8. दिनांक 12.3.92 को भुगतान योग्य राशि 58,580=48

नोट :- राशि 57,558=62 पर दिनांक 12.3.92 से भुगतान
की दिनांक तक 9% प्रतिशत ब्याज देय होगा जिसकी
गणना आवासन मण्डल के द्वारा भुगतान के समय की जावेगी ।

... 19

विशेषाधिकारी
सहायक दफ्तर एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

वाद संख्या :- 7/90/13

खतेदार का नाम :- श्री लालू पुत्र गोविन्द रैगर ।

राशि

1. 1. भूमि की कीमत सम्झौते अनुसार रकबा
0 बीघा 15 बिस्वा ग्राम-शयोपुर, भूमि की
दर 1,00,000/-रु. प्रति बीघा 65,000=00
2. पेड़, पौधे, डोला, कुआ व अन्य निर्माण
का तस्मीना आवासन मण्डल के अनुसार 900=00
3. योग { 1 + 2 } 65,900=00
4. सम्झौते के अन्तर्गत 12 % अतिरिक्त मुआवजा
वार्षिक दर से दि. 2.8.90 से 18.1.92
तक कुल 535 दिवस { 158=30
5. सम्झौता नुसार 30 % अनिवार्य अवाप्ति राशि का
निर्माण आदि पर - 270=00
6. योग { 3 + 4 + 5 } 66,328=30
7. दिनांक 18.1.92 को भुगतान की गई राशि 53,064=00
8. शेष भुगतान योग्य राशि 13,264=30
9. रु. 66,328=30 पर दिनांक 1.1.92
से 18.1.92 तक 9 % ब्याज { 18 दिवस { 294.38
10. रु. 13,264=30 पर दि. 19.1.92 से
दि. 12.3.92 तक 9 % ब्याज 176=61
11. कुल भुगतान योग्य राशि 13,735=29

नोट:- रु. 13,264=30 पर दिनांक 13.3.92 से भुगतान की दिनांक
तक 9 % प्रतिशत ब्याज देय होगा जिसकी गणना आवासन मण्डल
द्वारा भुगतान के समय की जावेगी ।

प्रमाण

विशेषाधिकारी

राज्यीय विकास एवं आवासन विभाग
लखनऊ, उत्तर प्रदेश

वाद संख्या :- 34/89/1

खातेदार का नाम :- कानाराम पुत्र बंधाराम ।

- | | राशि |
|--|-------------|
| 1. § 1 § भूमि की कीमत अन्तर्गत समझौते रक्कम
3 बीघा 03 बिस्वा ग्राम-रयोपुर भूमि
की दर 1,00,000/- रु. प्रति बीघा | 3,15,000=00 |
| 2. पेड़, पौधे, डोला, कुआँ व अन्य निर्माण का
तकमीना | - |
| 3. § 1 + 2 § | 3,15,000=00 |
| 4. समझौते के अनुसार 12 % अतिरिक्त मुआवजा
की राशि वार्षिक दर से दि. 19.7.90 से 18.1.92
तक § 549 दिवस § | - |
| 5. समझौते अनुसार 30 % अनिवार्य अवाप्ति
राशि निर्माण आदि पर - | - |
| 6. योग § 3 + 4 + 5 § | 3,15,000=00 |
| 7. दिनांक 18.1.92 को भुगतान की गई राशि §-§ | 2,52,000=00 |
| 8. शेष राशि भुगतान योग्य | 63,000=00 |
| 9. रु. 3,15,000=00 रु. पर दि. 1.1.92
से 18.1.92 तक ब्याज 9 % | 1,398=08 |
| 10. रु. 63,000=00 पर दि. 19.1.92 से
दि. 12.3.92 तक 9 % ब्याज § 54 दिवस § | 838=84 |
| 11. कुल शेष भुगतान योग्य राशि | 65,236=92 |

नोट:- रु. 63,000=00 पर दिनांक 13.3.92 से भुगतान की
दिनांक तक 9 % प्रतिशत ब्याज देय होगा, जिसकी गणना
आवासन मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जावेगी ।

विशेषाधिकारी
राजस्थान एवं आन्ध्र प्रदेश विभाग
राजस्थान, जयपुर

वाद संख्या :- 34/89/3

आतेदार का नाम :- लालूराम पुत्र महाराम रैगर

राशि

1. § 1 § भूमि की कीमत सम्झौते अन्तर्गत रक्का
3 बीघा 02 बिस्वा ग्राम-श्यापुर
भूमि की दर 1,00,000=00 प्रति बीघा 3,10,000=00
2. पेड़, पौधे, बोला कुआ व अन्य निर्माण का
तकमीना मण्डल अनुसार -
3. योग § 1 + 2 § 3,10,000=00
4. सम्झौते के अन्तर्गत 12 % आतिरिक्त मुआवजा
राशि वार्षिक दर से दिनांक 19.7.90 से
दि. 18.1.92 तक § 549 दिवस § -
5. सम्झौता अनुसार 30 % अनिवार्य अवाप्ति
राशि निर्माण आदि पर -
6. योग § 3 + 4 + 5 § 3,10,000=00
7. दिनांक 18.1.92 को भुगतान की गई राशि 2,48,000=00
8. शेष भुगतान योग्य राशि 62,000=00
9. शेष राशि रु. 310000/- रु. पर 1.1.92 से
18.1.92 तक 18 दिवस का 9 % की दर
से ब्याज 1,375=89
10. रु. 62,000=00 पर दि. 19.1.92 से
दि. 12.3.92 तक 54 दिवस का ब्याज 9% 825=53
11. कुल भुगतान योग्य राशि 64,201=42

नोट:- रु. 62,000=00 पर दिनांक 13.3.92 से भुगतान की
दिनांक तक 9 % प्रतिशत ब्याज देय होगा जिसकी गणना
आवासन मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जावेगी ।

की

विशेषाधिकारी
आवासन एवं आवासीय विभाग
राजस्थान, जयपुर

वाद संख्या :- 34/89/4

खातेदार का नाम :- रामस्वयं पुत्र सासीराम

	राशि
1. § 1 § भूमि की नीमत सम्झौते अनुसार रक्बा 3 बीघा 02 बिस्वा ग्राम-शरीपुर की भूमि की दर 1,00,000=00 रु. प्रति बीघा	3, 10, 000=00
2. पेड़, पौधे, डोला, कुआ व अन्य निर्माण का तकमीना मण्डल के अनुसार	-
3. योग § 1 + 2 §	3, 10, 000=00
4. सम्झौते के अन्तर्गत 12 % अतिरिक्त मुआवजा राशि वार्षिक दर से दि. 19.7.90 से दि. 18.1.92 तक	-
5. सम्झौता नुसार 30 % अनिवार्य आवाप्ति राशि निर्माण आदि पर -	-
6. योग § 3 + 4 + 5 §	3, 10, 000=00
7. दिनांक 26.2.92 को भुगतान की गयी राशि	2, 48, 000=00
8. शेष भुगतान योग्य राशि	62, 000=00
9. रु. 3, 10, 000=00 पर दि. 1.1.92 से 26.2.92 तक 9 % ब्याज § 57 § दिवस §	4, 356=98
10. रु. 62, 000=00 पर दि. 27.2.92 से 12.3.92 तक ब्याज § 15 दिवस § 9% दर	229=31
11. कुल शेष भुगतान योग्य राशि	66, 586=29

नोट :- 62, 000 रु. पर दिनांक 13.3.92 से भुगतान की दिनांक
तक 9 % प्रतिशत ब्याज देय होगा जिसकी मरमा आवासन मण्डल
द्वारा भुगतान के समय की जावेगी ।

११/११

....23

वि. सेवाधिकारी
समाजिक विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

उपरोक्त अवार्ड राजस्थान सरकार नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के पत्रांक प07/2 नविआ/3/90 दिनांक 7.3.92 द्वारा अनुमोदित किया जाकर राज्य सरकार द्वारा पुरिष्ठ कर दी गयी है, अतः आज दिनांक 12.3.92 को 84 बीघा 14 विस्वा भूमि के मुआवजे का अवार्ड उपरोक्तानुसार घोषित किया जाता है। केन्द्रीय भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 12(1) के अनुसार अवार्ड सभी पत्रावलियों के शामिल फाइल किया जाकर धारा 12(2) के अन्तर्गत खातेदारों को सूचित किया जावे प्रतिलिपियाँ सभी सम्बन्धितों को नियमानुसार प्रेषित की जावे।

अवार्ड सरे इजलास घोषित किया गया। हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 12.3.92 को जारी किया गया।

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राज0 सरकार, जयपुर

प्रतिलिपि :- सूचना र्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राज0 सरकार के पत्र क्रमांक-7/2 नविआ/3/90 दिनांक 7.3.92 के क्रम में सूचना र्थ।
2. सचिव, राजस्थान आवासन बोर्ड, जयपुर।
3. सम्बन्धित खातेदार - रातएकप पुवा दाना
4. तहसीलदार - तहसील, सांगानेर, जयपुर।
5. अवार्ड फाइल।

श्री ०७
विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर